दिनांक - 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 गौकशी के मुकदमें का वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर व बुलेट मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लूट/नकबजनी/गोकशी आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 08.11.2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा माण्डू वाला तिराहे पर वाहन चैकिंग की जा रही थी, तभी कलसिया रोड़ की तरफ से एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया तथा पुलिस टीम को चैकिंग करते देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल मोडकर भागने लगा अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी, पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके जीवाला रोड़ की तरफ भागने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जबावी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान **शादाब पुत्र इकलाख निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** के रूप में हुयी है। अभियुक्त शादाब उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 बुलेट मोटरसाइकिल (UP11CU9819) बरामद। बरामद बुलेट मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त शादाब उपरोक्त के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 215/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शादाब उपरोक्त थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/24 धारा 3/5/5क/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शादाब ने पूछताछ पर बताया कि मैने अपने अन्य 05 साथियो के साथ मिलकर दिनांक 6/7.11.24 की रात्रि को ग्राम मुजफ्फरी के जंगल मे बेहट बार्डर पर गौकशी की थी। जिसे हम आपस में मेहरबान के खेत में बांट रहे थे तभी वहाँ पुलिस के आने की आहट हुई और हम लोग मांस को और अपनी मोटरसाईकिल होण्डा साईन रजि0 नं0 UP11W5931 को छोड कर वहाँ से पुलिस को चकमा देकर भाग गये थे। आज दिनांक 08.11.2024 को मैं अपनी दूसरी मोटरसाईकिल बुलैट रजि नं0 UP11CU9819 से उत्तराखण्ड में अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था तभी रास्ते में पुलिस चैकिंग कर रही थी मुझे शक हुआ कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी इसी डर से मैं पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने लगा था तभी मेरी मोटरसाईकिल ग्राम जीवाला के रास्ते पर आम के बाग में फिसल कर गिर गई तथा मैं मोटरसाईकिल को वहीं छोडकर उठकर भागने लगा था तथा पुलिस मेरे पीछे थी तभी मैने पुलिस पार्टी पर दोबारा फायर किया तभी पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली मेरे पैर में लग गयी थी और मैं वहीं गिर गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शादाब पुत्र इकलाख निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 खोखा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 बुलेट मोटरसाइकिल

अभियुक्त शादाब उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 357/20 धारा 363/366 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 213/24 धारा 3/5/5क/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 सुमन थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
6. का0 952 अरविन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
7. का0 2327 सतीश थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
8. का0 2331 बबलू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
9. का0 2404 अमित थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड चोरी से पोप्लर के पेड़ काटने के मुकदमों में वांछित चल रहे 01 घायल सहित कुल 06 बदमाश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे, 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस 315 बोर व तीन कुल्हाड़ी, 02 आरी, 01 दाव, काटे गये पोप्लर के पेड़ व घटना में प्रयुक्त 01 छोटा हाथी वाहन व बिना नम्बर की 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। आज दिनांक 08/09.11.2024 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 5-6 संदिग्ध व्यक्ति ग्राम अमरपुर के जंगल में पेड़ काट रहे है। इस सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्राम अमरपुर के जंगल में घेराबन्दी की गयी तो पुलिस की घेराबन्दी की भनक लगते ही पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके तीतर बीतर होकर भागने लगे, आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जबावी फायरिंग में 01 बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान **मुनीर पुत्र जिन्दा हसन निवासी ग्राम फतेहपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार** के रूप में हुयी है। अभियुक्त के 05 अन्य साथियो **1.मुनीर पुत्र मुस्तकीम 2.इसरार पुत्र सईद 3.राजेन्द्र पुत्र रामलाल** निवासीगण ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार **4.विक्रम पुत्र अशोक कुमार 5. मनोज सैनी पुत्र रामचन्द्र सैनी** निवासीगण ग्राम हाल्लू माजरा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0-246/2024 धारा 303(2)/317(2)/109/3(5)/112 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-221/24 धारा-303(2)/317(2)/3(5)/112 बीएनएस, मु0अ0सं0-232/24 धारा- 303(2)/317(2)/3(5)/112 बीएनएस, मु0अ0सं0-240/24 धारा 303(2) 317(2)/3(5)/112 बीएनएस व मु0अ0सं0-245/24 धारा 303(2) 317(2)/3 (5)/112 बीएनएस में चोरी से पोप्लर के पेड़ काटने के मुकदमों में वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम सभी लोग लकडी चोरी करने का काम करते हैं तथा हमारा जो साथी मुनीर गाडा जो घायल हुआ है वह आसपास के क्षेत्रों में सुनसान खेतों पर खड़े पेडों को दिन में देखकर आने जाने की रास्ते देख लेता है तथा रात्रि के समय हम सभी लोग अपने दो अन्य साथियों के साथ सभी आठों लोग इकट्ठा होकर दिन में देखे गये पेडों पर पहुंचकर पेडों को काट लेते हैं तथा उन पेडों की लकडियों को मिनी ट्रक टाटा इन्ट्रा में भरकर मुनीर गाडा व मनोज सैनी अपने परिचित के माध्यम से धर्मकाँटा पर बेच देते हैं तथा बेचने में जो पैसे मिलते हैं उन्हे हम आठों लोग आपस में बाँट लेते हैं तथा हम लोगों को इन चारों चोरियों में लकडी बेचने से जो रूपये मिले थे उसमें से कुछ रूपये खर्च हो गये तथा कुछ रूपये जो हमारे हिस्से के थे तथा आज हम लोगों को मिले थे वह सभी 1625-1625 रूपये आपने हमसे बरामद कर लिये हैं तथा इन चारो चोरियों की कुछ बची हुई लकड़िया हमने ईख के खेत में छुपा दी थी इस तरह यहाँ ईख के खेत में हमारी पूर्व चारों चोरियों

की काफी लकडी इकट्ठा हो गयी थी जिसे आज हम सभी छः लोग मिनी ट्रक में भरकर बेचने ले जाने के लिये यहाँ आये थे तथा आज हमारे दो अन्य साथी कम काम होने के कारण हमारे साथ नहीं आये थे। हमने यहाँ आकर अपनी वह लकडियाँ अपने उसी मिनी ट्रक में भर ली थी लेकिन हमारा ट्रक पूरा नहीं भरा था जिस कारण हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से कुछ पोपलर के पेड और काट लें तथा हम सभी छः लोग यहाँ पोपलर के इन दो पेडों को काट रहे थे तभी पुलिस आ गई तो हम लोगों ने पकडे जाने से बचने के लिये मुनीर गाडा व मनोज सैनी के पास लिये हुए तमन्चों से पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था और पुलिस की जवाबी फार्यारिंग में हमारा साथी मुनीर गाडा पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मुनीर पुत्र जिन्दा हसन निवासी ग्राम फतेहपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (घायल)
2. मुनीर पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार
3. इशरार पुत्र सईद निवासी ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार
4. राजेन्द्र पुत्र रामलाल निवासी ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार
5. विक्रम पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम हाल्लू माजरा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार
6. मनोज सैनी पुत्र रामचन्द्र सैनी निवासी ग्राम हाल्लू माजरा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुनीर गाडा पुत्र जिन्दा हसनः-

1. मु0अ0सं0-221/24 धारा- 303(2)/317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
2. मु0अ0सं0-232/24 धारा- 303(2) /317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
3. मु0अ0सं0-240/24 धारा- 303(2) /317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
4. मु0अ0सं0-245/24 धारा- 303(2) /317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
5. मु0अ0सं0- 246/24 धारा -303(2) /317(2)/3(5)/112/109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 258/22 धारा- 379/411 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त मुनीर, इशरार, राजेन्द्र, विक्रम, मनोज सैनी उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-221/24 धारा- 303(2)/317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
2. मु0अ0सं0-232/24 धारा- 303(2) /317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
3. मु0अ0सं0-240/24 धारा- 303(2) /317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
4. मु0अ0सं0-245/24 धारा- 303(2) /317(2)/3(5)/112 बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
5. मु0अ0सं0- 246/24 धारा -303(2) /317(2)/3(5)/112/109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 02 तमंचे 315 बोर
- 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 03 कुल्हाड़ी,
- 02 बड़ी आरी,
- 01 दाव,

- 02 कटे हुए पोप्लर के पेड़
- 01 छोटा हाथी वाहन (घटना में प्रयुक्त)
- 01 बिना नम्बर की मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 लौकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री नरेन्द्रपाल सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9. है0का0 341 अनुज राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
10. का0 1341 सरल प्रताप थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
11. का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
12. का0 2259 पालेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
13. का0 2164 जसवन्त कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 गुमशुदा बच्चो को मात्र 24 घण्टे मे बरामद कर परिजनो के सपुर्द किया

अवगत कराना है दिनांक 08.11.2024 को समय 20.00 बजे आविद पुत्र नसीम नि0 दानिश कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि उसका पुत्र अरसलान उम्र करीब 14 वर्ष जो घर से पढने के लिये मदरसे मे जा रहा था मदरसे मे नही पहुँचा जो काफी खोजने पर भी नही मिला है। वादी आविद द्वारा दी गयी तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर तत्काल मु0अ0सं0 461/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया व थाने पर बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसैन सैनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा गुमशुदा बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु तीन टीमे गठित की गयी, गठित की गयी टीमो द्वारा तत्पर्ता से कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बच्चे अरसलान उम्र 14 करीब के सम्बन्ध मे सोशल मिडिया/ सीसीटीवी कैमरो की मदद से तलाश किया गया। तो जानकारी हुई कि गुमशुदा बच्चा रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली पहुँच गया है। गठित टीमो द्वारा गुमशुदा असरलान को **24 घण्टे के अन्दर** लोधी कालोनी साऊथ दिल्ली से बरामद किया गया । असरलान सकुशल परिजनो के सपुर्द किया गया है। परिजनों द्वारा अपने बच्चे को सकुशल पाकर थाना कोतवाली देहात पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
4. है0का0 526 सनोवर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
5. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
6. का0 2169 राहुल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
7. का0 2420 विष्णू थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
8. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
9. का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत करना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **लुकमान पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 120/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मिर्जापुर को आज दिनांक 09.11.2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पताः-

लुकमान पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारन्टी/एनबीडब्लू **मोबीन उर्फ दाड पुत्र यासीन निवासी मौ0 मोति तेलीयान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0- 760/03 सरकार बनाम जिन्दा आदि अन्तर्गत धारा 457/411/380 भादवि थाना देवबन्द Cr.no- 155/96 मा0 न्याया0 अपर सिविल जज (जू0डि0) देवबन्द सहारनपुर** के अनुपालन मे एनबीडब्ल्यू को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोबीन उर्फ दाड पुत्र यासीन निवासी मौ0 मोति तेलीयान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 राकेश पंवार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- .का.655 कमलेश यादवथाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी करायी गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था वनाए रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा **अभियुक्त सन्नी उर्फ चीडा पुत्र हरीश निवासी न्यू गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** के विरूद्ध वाद सं0- 2568/2024 में गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्रवाही कर माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी सहारनपुर से अभियुक्त सन्नी उर्फ चीडा के छः माह के लिए जिलाबदर होने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त किया गया तथा आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सन्नी उर्फ चीडा उपरोक्त के घर पर मौजूद न मिलने तथा ताला लगा होने के कारण अभियुक्त के मकान पर नोटिस चस्पा किया गया व न्यू गोपाल नगर कालोनी में अभियुक्त सन्नी उर्फ चीडा को जिला बदर किये जाने के सम्बन्ध में गाजे बाजे के साथ मुनादी करायी गयी।

जिला बदर अभियुक्त का नाम पताः-

सन्नी उर्फ चीडा पुत्र हरीश निवासी न्यू गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 486/2005 धारा 323/324/504/506 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
2. मु०अ०सं० 53/2006 धारा 398/401 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
3. मु०अ०सं० 251/2006 धारा 323/324 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
4. मु०अ०सं० 626/2006 धारा 147/323/504/506/336 भा०द०वि० थाना को० नगर
5. मु०अ०सं० 233/2007 धारा 323/324/504/506 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
6. मु०अ०सं० 696/2007 धारा 292/293/294 भा०द०वि० थाना सदर बाजार
7. मु०अ०सं० 698/2007 धारा 62/63 कापी राईट एक्ट थाना सदर बाजार
8. मु०अ०सं० 505/2008 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली नगर
9. मु०अ०सं० 107/2009 धारा 323/324 भा०द०वि० थाना कोतवाली देहात
10. मु०अ०सं० 324/2012 धारा 307 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
11. मु०अ०सं० 198/2012 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर
12. मु०अ०सं० 281/2012 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर
13. मु०अ०सं० 291/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर
14. मु०अ०सं० 338/2012 धारा 452/323/504/506 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
15. मु०अ०सं० 339/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर
16. मु०अ०सं० 392ए/2012 धारा 452/323/326/506 भा०द०वि० थाना को०नगर
17. मु०अ०सं० 91/2013 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर

18. मु०अ०सं० 260/2013 धारा 302/120बी भा०द०वि० थाना कुतुबशेर
19.मु०अ०सं० 169/2014 धारा 302/120बी भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर
20.मु०अ०सं० 171/2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर
21.मु०अ०सं० 267/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर
22.मु०अ०सं० 175/2016 धारा 223/224 भा०द०वि० थाना पल्लवपुरम, मेरठ
23.मु०अ०सं० 341/2016 धारा 420/467/468/471 भा०द०वि० थाना कोतवाली नगर

मुनादा कराने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 जुगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3.म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4.कां0 संजय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
5.कां0 296 तरूण शर्मा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

दिनांकः 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियत्रण एवं वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.11.2024 को 01 वारन्टी **अभियुक्त पारुल पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0-11677/22 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना गंगोह निर्गत मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 18 सहारनपुर को ग्राम दैदपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पारुल उपरोक्त थाना नकुड का टोप टैन अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.पारुल पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त पारुल उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 506/20 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 181/19 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 183/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 105/21 धारा 2/3 गिरोहबन्द समाज अधि0 चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 08.11.2024 को वादी श्री बिजेन्द्र सिहं पुत्र श्री रामफल रेलवे आवास नं0- 293A रेलवे काँलोनी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहारीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की एक्टीवा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 661/24 धारा 305(a) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए स्कूटी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **अभियुक्त 1.अंकुर पाठक पुत्र सुनील पाठक नि0 म0न0 302 ओल्ड आवास विकास दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जिला स0पुर 2. वैभव गर्ग पुत्र नीरज गर्ग निवासी न्यू आवास विकास थाना सदर बाजार** को दिल्ली रोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक्टीवा रंग सफेद न0 HR02 AK0816 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा /317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पुछताछ करने पर दोनो ने एक स्वर मे बताया कि सर ये स्कूटी हम दोनों ने मिलकर तीन दिन पहले 05 तारीख को सुबह 4-5 बजे के आसपास छोटी लाइन के पास रेलवे कॉलोनी में से एक घर में घुस कर चुराई थी और उसके बाद हमने इसकी नंबर प्लेट उतार कर रस्ते में कही कूड़े में फेक दी थी। हमारे पास एक दूसरी चाबी है। हम दोनों ने इसी चाबी की मदद से इस स्कूटी को चोरी किया था आज हम दोनों इस स्कूटी को बेचने के लिए निकले थे अगर हमे कोई ग्राहक मिल जाता तो हम इसको बेच देते।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अंकुर पाठक पुत्र सुनील पाठक नि0 म0न0 302 ओल्ड आवास विकास दिल्ली रोड थाना सदर बाजार।
2. वैभव गर्ग पुत्र नीरज गर्ग निवासी न्यू आवास विकास थाना सदर बाजार

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर पाठक का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 79/23 धारा 63ईएक्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 144/23 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 277/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 429/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 660 कपिल कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2064 रुचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/**अभियुक्त मोहसीन उर्फ भोला पुत्र रशीद निवासी मौहल्ला मजहर हसन थाना चिलकना सहारनपुर** को दुमझेडा की तरफ ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 251/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त मोहसिन उर्फ भोलू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि में कम पढा लिखा हूँ तथा स्मैक के नशे का आदी हूँ में अपने शौक तथा अपने नशे की जरूरतो को पूरा करने के लिए हरियाणा तथा पडोसी राज्यों से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर लाता हूँ। तथा अपने आस-पास के क्षेत्र में ट्रक चालक तथा अन्य जो स्मैक का नशा करते है, उन्हे अधिक दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहसीन उर्फ भोला पुत्र रशीद निवासी मौहल्ला मजहर हसन थाना चिलकना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 60 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त मोहसीन उर्फ भोला का उपरोक्त आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0-194/2023 धारा-307/323/328/498ए/504 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना चिलाकना स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 436 जाबिर अली थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 725 लीटर देशी शराब खाम (अनमानित कीमत 1,25,000/- रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनिष्टिकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी व निर्माण की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अभियान ऑपरेशन क्लीन के अन्तर्गत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय जनपद सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी गंगोह जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 09.11.2024 को **करीब 725 लीटर देशी शराब खाम जिसकी कीमत करीब 1,25,000/-रुपये** अनुमानित है को नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक गंगोह रोजन्त त्यागी तथा आबकारी निरीक्षक व उच्चाधिकारीगणो के द्वारा नष्ट कराया गया तथा उक्त शराब की नष्टीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी व शराब को गड्डा खुदकर दबवाया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरणः-

- कुल 725 लीटर देशी शराब खाम

दिनांक - 09.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 20 छल्ले (सफेद धातु), 05 पायल (सफेद धातु), 01 माथे का टिक्का (आर्टिफिशियल), 01 गले का हार (आर्टिफिशियल), 02 झुमके (पीली धातु) व 4300/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 08.11.2024 को वादी असलम पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम रण्डौल थाना बेहट सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से सोने चाँदी के आभूषण व 35000/- रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 362/24 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त **गुफरान पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम रण्डोल थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये सामान 20 छल्ले (सफेद धातु), 05 पायल (सफेद धातु), 01 माथे का टिक्का (आर्टिफिशियल), 01 गले का हार (आर्टिफिशियल), 02 झुमके (पीली धातु) व 4300/- रूपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुफरान पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम रण्डोल थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र राठी थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. हे0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का 2468 विकास कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर